



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-26092022-239106  
CG-DL-W-26092022-239106

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 33] नई दिल्ली, सितम्बर 11— सितम्बर 17, 2022, शनिवार/ भाद्र 20—भाद्र 26, 1944  
No. 33] NEW DELHI, SEPTEMBER 11—SEPTEMBER 17, 2022, SATURDAY/BHADRA 20—BHADRA 26, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 126.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (कैमरामैन) भर्ती नियम, 2017 को, जहाँ तक उसका संबंध कैमरामैन के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में कैमरामैन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कैमरामैन (समूह ग) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर**—पद संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरहता** — वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है;

या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम (1)	पद संख्या (2)	वर्गीकरण (3)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर (4)
कैमरामैन	4* (2022)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 5 (29200-92300 रु.)
	* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।		

चयन या अचयन पद (5)	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा (6)	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित भौक्षिक और अन्य अर्हताएं (7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और भौक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं (8)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो (9)	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता (10)	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा । (11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति द्वारा	प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i). जो सदृश पद धारण किए हुए हैं;

			<p>या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 के पदों में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है;</p> <p>(ख) जिनके पास इंटरमीडियट (मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण) के साथ किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से फोटोग्राफी में डिप्लोमा और कैमरामैन के रूप में दो वर्षीय अनुभव ।</p> <p><b>वांछनीय ;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. सिनेमैटोग्राफी में डिप्लोमा।</li> <li>2. स्टील, वीडियो और मूवी कैमरों के रखरखाव में दो वर्ष का अनुभव।</li> </ol> <p><b>टिप्पण 1:</b> ऐसे विभागीय स्टूडियों परिचारक, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 में न्यूनतम सोलह वर्ष नियमित सेवा की है और ऐसे विभागीय अभ्यर्थियों पर भी विचार किया जाएगा जिनके पास ब्राहय व्यक्तियों के साथ साथ प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति पर विचार करने के लिए विहित अर्हता और अनुभव हों। यदि पद पर नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थी का चयन हो जाता है , तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर ब्राहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधरणताया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 23011/36/2021-पुलिस ट्रेनिंग]

रमन कुमार, अवर सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

New Delhi, the 14th September, 2022

**G.S.R. 126.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad (Cameraman) Recruitment Rules, 2017, in so far as they relate to the post of Cameraman, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Cameraman in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely :-

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy Cameraman (Group C) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification, Level in the Pay Matrix** – The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualification and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**4. Disqualification.**—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, other Backward Classes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of post (1)	Number of posts (2)	Classification (3)
Cameraman	4* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group "C" Non-Gazetted Non-Ministerial

Level in the Pay Matrix (4)	Whether selection post or non-selection post (5)	Age- limit for direct recruits. (6)
Level -5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix.	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits (7)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes (8)	Period of probation, if any (9)	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods (10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation/Promotion

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p><b>Deputation:</b></p> <p>Officers under the Central Government :</p> <p>(a) (i) holding analogous posts, or, (ii) With five years regular service in posts in level-4 in the pay matrix, (b) Possessing Intermediate (12<sup>th</sup> Standard pass from the recognized board) with Diploma in Photography from a recognized Institute and two years' experience in Photography.</p> <p><b>Desirable :</b></p> <p>1. Having diploma in Cinematography; 2. Two years experience in handling Still, Video and Movie Cameras.</p> <p><b>Note1:</b> Departmental Studio Attendant with minimum sixteen years regular service in level-1, in the pay matrix and having the qualification and experience prescribed for considering appointment on deputation basis shall be considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post is shall be treated as having been filled by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The upper age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p>	Not applicable	Not applicable.

[F. No. 23011/36/2021-PT]

RAMAN KUMAR, Under Secy.

### स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2022

**सा.का.नि. 127.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में स्टॉफ कार चालक ग्रेड-1 (समूह 'ग' पद) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, स्टाफ कार चालक ग्रेड-1 (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।